वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
कार्यालय, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश
मोतीमहल, ग्वालियर

देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2006-2007

ग्वालियर, दिनांक 23 जनवरी, 2006

आबकारी नीति

क्र. (01) बी-1-79-05-02पांच.-सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदरों की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि संपूर्ण मध्यप्रदेश में वर्ष 2006-07 अर्थात् 1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक की अवधि के लिए निम्न निर्देशों एवं प्रक्रिया के अधीन निश्चित लायसेंस फीस पर पृथक्-पृथक् विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन तथा बीयर) एवं देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की नवीनीकरण के पश्चात् शेष बची दुकानें, 2006 को निष्पादित की कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा संलग्न तालिका में दर्शाए स्थलों पर दिनांक 27 फरवरी 2006 को निषदित की जाएंगी। देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन के लिए प्रत्येक जिले में गठित समिति निम्नानुसार होगी :-

1. कलेक्टर	अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3. संबंधित संभाग के उपायुक्त आबकारी	सदस्य
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत)	सदस्य
5. सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी	सदस्य-सचिव

जिला समिति का स्वरूप एवं कार्य वर्ष 2005-06 अनुसार रहेगा। यह समिति आबकारी आयुक्त के सामान्य पर्यवेक्षण के अध्यख कार्य संपादन करेगी।

1. मदिरा दुकानों का नवीनीकरण :

वर्ष 2005-06 की मदिरा दुकानों के लिए लागू आबकारी नीति के अन्तर्गत यह प्रावधानित था कि यदि वर्ष 2005-06 लायसेंसी देय वार्षिक लायसेंस फीस समय पर जमा करते हैं तथा वर्ष के दौरान कोई गंभीर अनियमितता नहीं करते हैं तो लायसेंसियों को आगामी वर्ष 2006-07 के लिए वर्ष 2005-06 के वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर मदिरा दुकान लायसेंस के नवीनीकरण की पात्रता रहेगी। तद्नुसार वर्ष 2006-07 के लिए नवीनीकरण की निम्नानुसार व्यवस्था रहेगी :-

वर्ष 2005-06 के ऐसे लायसेंसी जिनके विरूद्ध आवेदन दिनांक तक कोई लायसेंस फीस बकाया नहीं है तथा जिन्होंने वर्ष दौरान कोई गंभीर अनियमितता नहीं की है, उन्हें दुकान/एकल समूह के नवीनीकरण का प्रस्ताव 10 फरवरी, 2006 तक सहायक आबकारी आयुक्त/जिला

आबकारी अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन दिनांक तक कोई लायसेंस फीस बकाया न होने से आशय आवेदन दिनांक के पूर्व के पक्ष अंत तक की कोई लायसेंस फीस बकाया न होने से है। ये प्रारूप कार्यालयीन समय में सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के नवीनीकरण के इच्छुक आवेदकों के लिए विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र ग्रामीण एवं नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए प्रति आवेदन रुपये 1000/- नगरपालिका तथा नगर निगम (इन्दौर, ग्वायिलर, भोपाल एवं जबलपुर नगर निगम छोड़कर) क्षेत्र की दुकानों के लिए प्रति आवेदन रुपए 1000/- तथा इन्दौर, ग्वालियर, भोपाल एवं जबलपुर नगर निगम क्षेत्रों की दुकानों के लिए प्रति आवेदन रुपये 3000/- प्रोसेसिंग फीसी के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क, प्रत्येक दुकान की स्थिति के मान से समेकित जमा कराया जाकर, आवेदन-पत्र निर्गत किया जायेगा। बेसिक लायसेंस फीस वर्ष 2005-06 की भांति आरक्षित मूल्य का 8 प्रतिशत तथा प्रतिभूति वार्षिक लायसेंस फीस का 12 प्रतिशत होगी। इच्छुक लायसेंसी को अपने ऑफर के साथ निम्नलिखित राशि/अभिलेख प्रस्तुत करना होगा :-

1.1 निर्धारित प्रारूप में नवीनीकरण का आवेदन पत्र।

1.2 वर्ष 2005-06 के लिए प्रस्तुत 12 प्रतिशत की राशि 30 अप्रैल, 2007 तक के लिए जमा मान्य करने की सहमति। 12 प्रतिशत राशि यदि बैंक गारंटी के रूप में है तो, निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर, प्रस्तुत बैंक गारंटी की समयावधि दिनांक 30-04-2007 तक की वृद्धि किये जाने संबंधी बैंक का वचन-पत्र।

1.3 वर्ष 2006-07 के वार्षिक मूल्य जो वर्ष 2005-06 के वार्षिक मूल्य (बेसिक लायसेंस फीस + वार्षिक लायसेंस फीस) में 20 प्रतिशत वृद्धि कर आंकलित किया गया हो, का 8 प्रतिशत बेसिक लायसेंस फीस नियत की जाती है। इस बेसिक लायसेंस फीस के 50 प्रतिशत के बराबर की धरोहर राशि नगद या राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित बैंक द्वारा जारी एवं संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को देय बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या कैश आर्डर के रूप में।

1.4 आवेदक को बेसिक लायसेंस फीस का अवशेष 50 प्रतिशत भाग तथा प्रतिभूति की अवशेष राशि दिनांक 28 फरवरी, 2006 तक जमा करना होगा। तद्नुसार इस आशय का नोटराइज्ड शपथ-पत्र कि यदि आवेदक अवशेष 50 प्रतिशत बेसिक लायसेंस फीस तथा 12 प्रतिशत अग्रिम की शेष राशि 28 फरवरी, 2006 तक जमा नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा 12 प्रतिशत की राशि, बेसिक लायसेंस फीस का 50 प्रतिशत एवं अन्य कोई जमा राजसात कर ली जाए तथा उसकी दुकान का पुनः निष्पादन कर दिया जाए।

2. नवीनीकरण से शेष दुकानों का निष्पादन :

2.1 नवीनीकरण से शेष बची दुकानों के निष्पादन की कार्यवाही दिनांक 27-2-2006 को होगी। इन दुकानों का आरक्षित मूल्य वर्ष 2005-06 के वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत वृद्धि कर निश्चित किया जाएगा। इच्छुक आवेदकों से दुकान/एकल समूह पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। यदि आवेदक आरक्षित मूल्य पर दुकान नहीं लेना चाहता है तो उस दुकान पर वह अपनी इच्छा से जो उचित समझे आरक्षित मूल्य से कम का ऑफर प्रस्तुत करेगा। यह ऑफर उसकी उस दुकान पर निविदा होगी। दुकान/एकल समूह आरक्षित मूल्य पर लेने का इच्छुक आवेदक यदि एक होगा तो दुकान/एकल समूह उसे आवंटित कर दिया जायेगा। यदि आवेदक एक से अधिक होंगे तो सार्वजनिक लॉटरी से सफल आवेदक का चयन किया जाएगा। प्राप्त ऑफर यदि आरक्षित मूल्य से

अधिक का प्राप्त होता है तो उसे आरक्षित मूल्य का ही ऑफर माना जाएगा। शेष बची दुकनों के प्राप्त उच्चतम ऑफर (निविदा) पर राज्य शासन द्वारा निष्पादन संबंधी निर्णय लिया जाएगा।

2.2 इच्छुक व्यक्ति द्वारा ऐसी दुकानों का विवरण, मादक द्रव्यों की खपत, बेसिक लायसेंस फीस, वार्षिक लायसेंस फीस ड्यूटी की दरों तथा संबंधित नियमों, आदि की जानकारी संबंधित जिले के सहायक जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से किसी भी दिन कार्यालयीन समय में दिनांक 10 फरवरी, 2006 के पश्चात् प्राप्त की जा सकती है।

2.3 दुकानों के निष्पादन की मुख्य शर्ते/निर्बन्धन :

2.3.1 व्यक्ति जो आवेदन/टेण्डर देने से वर्जित होंगे :- देशी तथा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के लिए ऐसे ही व्यक्ति आवेदन या टेण्डर प्रस्तुत कर सकेंगे जो आबकारी लायसेंस प्राप्त करने की योग्यता रखते हों। निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन-पत्र/टेण्डर देने के लिए अयोग्य रहेंगे :-

(क) कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का हो।

(ख) कोई भी व्यक्ति जो स्वतः अथवा जमानतदार की हैसियत से शासन की आबकारी राजस्व की राशि अथवा मनोरंजन शुल्क की किसी प्रकार की राशि का बकायादार हो। वर्ष 2005-2006 की अवधि का अनुज्ञप्तिधारी जिसके द्वारा उसके लायसेंस की माह 15 फरवरी 2006 तक की संपूर्ण देय लायसेंस फीस न पटाई गई हो।

(ग) कोई भी व्यक्ति जो पहले लायसेंसी रहा हो, और लायसेंसी की हैसियत से उसका आचरण, निष्पादन करने वाले अधिकारी के मत में संतोषजनक न रहा हो।

(घ) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विभाग की काली सूची में हो।

(ङ) कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में निष्पादनकर्ता अधिकारी को यह विश्वास हो कि वह बुरे आचरण वाला है।

(च) कोई भी व्यक्ति जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 या राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या इंडियन मर्केन्डाइज मार्क्स अधिनियम, 1889 (1889 सं. 4) या इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय दंड संहिता (1860 कं. सं. 45) में पुनः स्थापित की गई धाराओं 478 से 489 के अधीन या औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 या नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज अधिनियम, 1985 अथवा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी रहा हो और ऐसे अपराधों के लिए किसी दांडिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

टिप्पणी - बकाया की राशि की पूर्ण अदायगी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त कंडिका 2.3.1 (ख) में उल्लिखित शर्त जिला समिति द्वारा शिथिल की जा सकेगी। काली सूची में से नाम विलोपित किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त कंडिका 2.3.1 (घ) की शर्त जिला समिति द्वारा शिथिल की जा सकेगी।

2.3.2 धरोहर राशि/बेसिक लायसेंस फीस/प्रतिभूति का जमा करना :- धरोहर राशि गतवर्ष की भांति बेसिक लायसेंस फीस के 10 प्रतिशत के बराबर होगी। बेसिक लायसेंस फीस आरक्षित मूल्य का 8 प्रतिशत होगी। प्रतिभूति की राशि वार्षिक लायसेंस फीस के 12 प्रतिशत के बराबर होगी

जो नकद अथवा जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित बैंक की स्थानीय शाख में देय बैंक ड्राफ्ट, कैश आर्डर, बैंकर्स चैक अथवा बैक गारंटी के रूप में 30 अप्रैल, 2007 तक की अवधि की जमा करनी होगी।

2.3.3 दुकानों का युक्तियुक्तकरण :- गतवर्ष 2005-06 में जिला समिति द्वारा दुकानों का युक्तियुक्तकरण किया जा चुका है। जिला समिति को वर्ष 2006-07 के लिये दुकानों को पुनः युक्तियुक्तकरण के अधिकार नहीं रहेंगे।

2.3.4 एकल समूह बनाए जाना :- वर्ष 2005-06 में जिन एकल समूहों का गठन कर दुकानों का निष्पादन किया गया है, वे ही एकल समूह वर्ष 2006-07 के लिए होंगे। किसी भी परिस्थिति में इन्हें तोड़ा नहीं जायेगा।

2.3.5 नवीन दुकानों का खोला जाना :- वर्ष 2006-07 के लिए राज्य में कोई भी नवीन **देशी** एवं **विदेशी** मदिरा दुकान नहीं खोली जायेगी।

2.3.6 आरक्षित मूल्य, वार्षिक मूल्य, वार्षिक लायसेंस फीस तथा लायसेंस फीस का निर्धारण :- वर्ष 2006-07 के लिए निष्पादित की जाने वाली प्रत्येक देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा दुकानों के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारित किया जायेगा, जो वर्ष 2005-06 के वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत वृद्धि कर निश्चित किया जाएगा। जिसकी दुकानवार जानकारी आवेदन-पत्र/निविदा फार्म के साथ दी जावेगी। बेसिक लायसेंस फीस दुकान के वार्षिक मूल्य का 8 प्रतिशत निर्धारित रहेगी तथा वार्षिक मूल्य से बेसिक फीस कम करने पर जो राशि शेष होगी उसे दुकान की वार्षिक लायसेंस फीस कहा जायेगा।

टेण्डर की स्थिति में स्वीकृत टेण्डर राशि उस दुकान की वार्षिक लयसेंस फीस होगी। टेण्डर आरक्षित मूल्य में से लायसेंस फीस घटाने पर प्राप्त राशि पर आमंत्रित किए जायेंगे। वार्षिक लायसेंस फीस और बेसिक लायसेंस फीस का योग दुकान का वार्षिक मूल्य होगा। बेसिक लायसेंस फीस आरक्षित मूल्य के परिवर्तन पर ही परिवर्तित होगी।

2.3.7 आवेदन-पत्र के निर्गम आदि की जानकारी :- प्रत्येक आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। वे विदेशी मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवेदन-पत्र संबंधित जिले के कलेक्टर कार्यालय/सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय तथा जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे। इन आवेदन-पत्रों का वित्त जिला मुख्यालय पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर की सहमति से उनकी उस शाखा से, जो शासक लेन-देन का संव्यवहार करते हो, से भी किया जायेगा।

2.3.7.1 देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के आवेदकों के लिए विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र ग्रामीण एवं नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए प्रति आवेदन रुपये 1000/- नगर पालिका तथा नगर निगम (इन्दौर, ग्वालियर, भोपाल एवं जबलपुर नगर निगम छोड़कर) क्षेत्र की दुकानों के लिए प्रति आवेदन-पत्र रुपये 2000/- तथा इन्दौर, इन्दौर, ग्वालियर, भोपाल एवं जबलपुर नगर निगम क्षेत्रों की दुकानों के लिए प्रति आवेदन-पत्र रुपये 3000/- प्रोसेसिंग फीस के रूप में नगद धनराशि के भुगतान पर उपलब्ध हो सकेंगे मदिरा दुकानों के एकल समूह के लिए उसमें सम्मिलित दुकानों के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क प्रत्येक दुकान की स्थिति के मान से समेकित जमा कराया जाकर आवेदन-पत्र निर्गत किया जायेगा। आवेदन-पत्र का उपयोग किसी भी जिले में किया जा सकेगा, बशर्तों उस जिले में आवेदित दुकान या दुकानों के समूह के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क भुगतान किये गए शुल्क के समतुल्य या उससे कम हो।

2.3.7.2 आवेदनकर्ता किसी दुकान के लिए प्रस्तुत आवेदन-पत्र के साथ नाम एवं पते के सत्यापन हेतु निवास प्रमाण-पत्र/टेलीफोन बिल/बिजली बिल/क्रेडिट कार्ड/आयकर विभाग का पेन कार्ड/भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका/किसान बही की प्रति अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत पहचान पत्र आदि की फोटो प्रति भी संलग्न करेगा। इस प्रयोजन के लिए उन अभिलेखों को भी विचार में लिया जायेगा। जो मतदाता की पहचान हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमत है।

2.3.7.3 एक व्यक्ति एक दुकान के लिए एक ही आवेदन कर सकेगा, परन्तु एक व्यक्ति कई दुकानों के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

2.3.7.4 आवेदक भागीदार फर्म होने की दशा में फर्म के पंजीयन प्रमाण-पत्र के साथ-साथ पार्टनरशिप डीड एवं रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल (एब्स्ट्रेट) अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा। यदि आवेदक कंपनी की ओर से आवेदन देना चाहता है तो आवेदन देने के पूर्व उसे संबंधित कंपनी का निगमन प्रमाण-पत्र अथवा उसकी विधिवत अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी का मेमोरेमण्डम एण्ड आर्टीकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि तथा कंपनी के संचालक मण्डल की ओर से आवेदक के पक्ष में निष्पादित/जारी अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.3.7.5 विभाग द्वारा जारी किये गये निर्गत आवेदन-पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन-पत्र प्रदाय करते समय उपयोग करने वाले व्यक्ति का नाम व पता आवेदन-पत्र पर तथा आवेदन-पत्र के काउन्टर फाईल पर अंकित किया जायेगा। यदि आवेदन-पत्र किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रस्तुत किया जायेगा, तो उसे अमान्य कर दिया जायेगा। आवेदन-पत्र के प्रतिपर्ण एवं आवेदन-पत्र किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रस्तुत किया जायेगा, तो उसे अमान्य कर दिया जायेगा। आवेदन-पत्र के प्रतिपर्ण एवं आवेदन-पत्र के मध्य परफोरेशन बिन्दुओं पर दाहिनी ओर बने ब्लाक में सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी अथवा आवेदन-पत्र निर्गत करने हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा इस प्रकार सील लगाकर हस्ताक्षर किये जायेंगे जिससे प्रतिपर्ण व आवेदन-पत्र दोनों पर आंशिक रूप से सील व हस्ताक्षर अंकित हो जायें। आवेदन-पत्र के भाग-चार जिस पर आवेदक का नाम, दुकान जिसके लिए उसने आवेदन किया है तथा उस दुकान पर उसके ऑफर का विवरण अंकित होगा, का उपयोग आवश्यकतानुसार लॉटरी निकालने में किया जायेगा अन्यथा यह निविदा प्रपत्र होगा। आवेदक यदि आरक्षित मूल्य से कम पर दुकान लेना चाहता है तो भी वह भाग-चार में दुकान की यथोचित वार्षिक लायसेंस फीस का ऑफर प्रस्तुत करेगा। इस भाग-चार को आवेदक आवेदन-पत्र के साथ संलग्न एक पृथक् लिफाफे में सीलबंद कर प्रस्तुत करेगा। लिफाफे पर केवल आवेदक एवं दुकान का नाम अंकित होगा।

2.3.7.6 आवेदन-पत्र निर्गत करने क साथ ही निर्गतकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदक को जिले में नवीनीकरण उपरांत निष्पादन हेतु शेष दुकानों/दुकानों के समूहों का दुकानवार आरक्षित मूल्य, बेसिक लायसेंस फीस, वार्षिक लायसेंस फीस तथा आवेदन के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि आदि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

2.3.7.7 प्रत्येक आवेदन का एक सरल क्रमांक होगा। आवेदक निर्धारित तिथि एवं समय तक अपना आवेदन संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक आवेदक को इस आवेदन के भाग-दो में अपने संबंध में आवश्यक जानकारी देना होगी, आवेदन में प्रमाणित फोटोग्राफ, नियमों को पालन करने की सहमति, भागीदारी फर्म होने की दशा में उसका पंजीयन इत्यादि आयकर विभाग का पैन क्रमांक (यदि हो), बैंक खाता क्रमांक तथा प्रस्तुत की जा रही अन्य जानकारी के संबंध में आवेदन-पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में, विधिवत् नोटरीकृत शपथ-पत्र भी देना होगा। आवेदन-पत्र में वांछित जानकारी तथा उसके संलग्न अभिलेखों के साथ-साथ, आवेदक को निर्धारित बेसिक लायसेंस फीस की 10 प्रतिशत राशि, धरोहर राशि के रूप में जमा रकना होगी। यह राशि नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी

आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक की स्थानीय शखा की बैंक गारंटी के रूप में अथवा बैंक कैश आर्डर/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप से भरे गये हैं एवं उसके साथ आवश्यक संलग्नक (निर्धारित राशि के ड्राफ्ट, शपथ-पत्र, आदि) लगे हुए हैं। आवेदन-पत्र के परीक्षण पर उसे सही पाये जाने पर, प्राधिकृत अधिकारी आवेदक को आवेदन-पत्र में संलग्न पावती भाग-तीन हस्ताक्षर कर सौंपेगा। यदि आवेदन-पत्रों त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण रूप से भरा पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी उसकी पूर्ति/सुधार तत्काल ही करा लेगा तथा/यदि कोई आवश्यक अभिलेख संलग्न नहीं है तो, इस आशय की सूचना लिखित में आवेदक को देगा कि कौन से संलग्नक कम है और उसे आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक का समय इस कमी को पूरा करने के लिए देगा। ऐसे आवेदन-पत्रों की कमियों/संलग्नकों की पूर्ति हो जाने के उपरांत ही, उपरोक्तानुसार रसीद दी जावेगी। यह रसीद ही लाटरी के आयोजन स्थल पर प्रवेश हेतु गेटपास के रूप में प्रयुक्त की जा सकेगी। यदि अंतिम दिनांक तक कमियां पूर्ण नहीं की जाती है तो, आवेदन निरस्त हो जायेगा और आवेदन-पत्र के साथ ऐसी जमा धनराशि कलेक्टर द्वारा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर राजसात की जा सकेगी। निर्धारित समयावधि पूर्ण होने के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र या कमियों की पूर्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। इस संबंध में किसी विवाद की स्थिति निर्मित होने पर, उसका निराकरण जिला समिति करेगी तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

नोट - दुकान से आशय दुकान या एकल समूह, आवेदक से आशय आवेदक/टेण्डरदाता तथा आवेदन-पत्र से आशय आवेदन/टेण्डर प्रपत्र से है।

2.3.8 देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के निष्पादन हेतु सार्वजनिक लाटरी/टेण्डर की प्रक्रिया :

2.3.8.1 दिनांक 27 फरवरी 2006 को निर्धारित समय पर आवेदन-पत्र के भाग-चार आवेदन/निविदाओं को खोलने का कार्य आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष लायसेंस फीस के अवरोही क्रम में किया जाएगा। आवश्यकतानुसार आवेदन/निविदा खोलने की कार्यवाही आगामी कार्यदिवस तक जारी रह सकेगी।

2.3.8.2 आवेदन/टेण्डर खोलने के दौरान आवेदक/टेण्डरदाता की अनुपस्थिति निष्पादन की कार्यवाही में बाधक नहीं होगी।

2.3.8.3 आवेदन/टेण्डर के माध्यम से प्राप्त दुकानवार ऑफर का तुलनात्मक पत्रक तैयार किया जाए।

2.3.8.4 जिन दुकानों/एकल समूह के लिए हेतु एक से अधिक आवेदन-पत्र घोषित आरक्षित मूल्य पर प्राप्त हुए हो उनके लिए सफल आवेदक का चुनाव सार्वजनिक लाटरी द्वारा किया जायेगा। सार्वजानिक रूप से ऐसे आवेदकों की माईक पर उद्घोषणा की जाएगी। सभी ऐसे आवेदकों को लॉटरी हॉल में आने का अवसर दिया जायेगा। लॉटरी निकाले जाने संबंधी कार्यवाही इस प्रकार संपादित की जायेगी कि पंडाल में उपस्थित सभी व्यक्ति लॉटरी की कार्यवाही को भलि-भांति देख सकें। जिससे लॉटरी की कार्यवाही में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे।

2.3.8.5 मदिरा की दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन हेतु लाटरी संबंधी समस्त कार्य कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा किया जायेगा। सार्वजनिक लाटरी की समस्त कार्यवाही इस समिति के सदस्यों की उपस्थिति व देखरेख में की जावेगी।

2.3.8.6 जिस दुकान/एकल समूहों हेतु लॉटरी निकाली जायेगी उसके लिए घोषित आरक्षित मूल्य पर प्रापत समस्त आवेदन के भाग-चार को सार्वजनिक रूप से उपस्थित आवेदकों को दिखाकर तथा विधिवत् मोड़कर लॉटरी के लिए निर्धारित किये गये पास पात्र में इस प्रकार डाल

दिया जायेगा कि, सभी उपस्थित आवेदक आश्वस्त हो सकें कि उनकी निविदा भाग-चार पात्र में पड़ चुकी और पात्र में पहले से कोई पर्ची नहीं पड़ी थी। पात्र का साईज पर्चियों की संख्या के अनुरूप पर्याप्त बड़ा होना चाहिये। ताकि उन डाली गई पर्चियों को हिला-डुला कर विधिवत् मिश्रित किया जा सकें।

2.3.8.7 कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी सभी ऐसे आवेदकों की पर्ची को पात्र में डालकर उसे पहले भी प्रकार से हिला लेंगे, तत्पश्चात् किसी एक आवेदक से एक पर्ची निकलवा लेंगे, जिस आवेदक की पर्ची निकालेंगे उसे सार्वजनिक रूप से दिखाये जाने के पश्चात् आवेदनकर्ता के नाम दुकान आवंटित की जायेगी। पहले चयनित आवेदक के नाम की घोषणा के बाद उसी दुकान के लिए एक अन्य पर्ची भी निकाली जायेगी। जो कि दुसरे आवेदक के नाम का चयन करेगी।

2.3.8.8 लॉटरी में चयनित दोनों व्यक्तियों की लॉटरी की पर्ची पर समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर के उपरांत, ऐसी प्रथम एक द्वितीय पर्ची को जी-1 पंजी में दुकान/एकल समूह के नाम के समक्ष चस्पा कर दिया जायेगा एवं पंजी पर चयनित आवेदकों के भार यथा-संभव हस्ताक्षर कराये जायेंगे।

2.3.8.9 जिस व्यक्ति को दुकान/एकल समूह अवंटित की जायेगी/किया जायेगा। उसे घोषित कार्यक्रम अनुसार निर्धारित अवधि में बेसिक लायसेंस फीस जमा कराना होगी। इसमें धरोहर राशि का समायोजन अनुमत होगा। उसे मौके पर ही इस आशय का एक पत्र जारी किया जायगा कि अमुक दुकान/एकल समूह की लॉटरी उसके नाम से निकली है। निर्धारित समयावधि में बेसिक लायसेंस फीस जमा न करने की स्थिति में दूसरे चयनित व्यक्ति को घोषित कार्यक्रम अनुसार निर्धारित अवधिमें बेसिक लायसेंस फीस जमा करने हेतु अवसर दिया जायेगा।

2.3.8.10 दुकान/एकल समूह के घोषित आरक्षित मूल्य की तुलना में टेण्डर के ऑफर की राशि कम होने की दशा में जिला समिति दुकानवार प्राप्त ऑफर को निर्धारित प्रारूप में घटते क्रम में सारणी बनाकर आबकारी आयुक्त को विशेष वाहक से भेजेगी। जिस पर शासन आदेशानुसार निर्णय की सूचना जिला समिति को दी जाएगी।

2.3.8.11 उच्चतम टेण्डरदाता के अतिरिक्त अन्य टेण्डरदाताओं द्वारा जमा की गई धरोहर राशि, रसीद प्राप्त कर वापिस की जाएगी। उच्चतम टेण्डरदाता यदि टेण्डर की पुष्टि तक टेण्डर में अंकित ऑफर पर स्थिर नहीं रहेगा, अथवा टेण्डर वापिस लेगा या अन्य किसी प्रकार से शर्तों का उल्लंघन करेगा, तो उस दुकान/एकल समूह को टेण्डर द्वारा पुनः निष्पादन चाहता है, में उच्चतम ऑफर के 1/3 भाग के बराबर राशि (आवेदक द्वारा जमा धरोहर राशि को कम करके बाकी राशि) नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थानीय शाखा की बैंक गारंटी के रूप में अथवा कैश ऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करनी होगी। पुनः निष्पादन के लिए वह व्यक्ति ही आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिसने टेण्डर द्वारा उस दुकान/एकल समूह के निष्पादन में भाग लिया हो, तथा टेण्डर की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपात्र न रहा हो।

2.3.8.13 पुन- निष्पादन के आवेदन-पत्र पर तभी विचार किया जाएगा, जबकि आवेदक टैण्डर प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम ऑफर से कम से कम 10 प्रतिशत अधिक का ऑफर देना चाहता हो।

2.3.8.14 किसी दुकान/एकल समूह के पुनः निष्पादन के प्रस्ताव का आवेदन-पत्र केवल एक ही बार मान्य किया जाएगा।

2.3.8.15 किसी दुकान/एकल समूह का पुनः निष्पादन होने पर भी, उसके प्रथम निष्पादन के समय जिस टेण्डरदाता द्वारा उच्चतम ऑफर दिया गया हो, वह 15 दिन तक अपने उस ऑफर पर कायम रहने क लिए बाध्य होगा, पुन- निपादन की इस कार्यवही में प्रत्येक पात्र व्यक्ति/फर्म/कंपनी भाग ले सकेंगे।

2.3.9 नवीनीकरण के पश्चात् शेष बची प्रतिभूति की राशि/बैंक गारंटी जमा करना :- चयनित आवेदक/सफल टेण्डरदाता द्वारा दुकान की वार्षिक लायसेंस फीस का 12 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक की स्थानीय शाखा की बैंक गारंटी के रूप में अथवा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/कैश ऑर्डर के रूप में दुकान निष्पादन के दिनांक से 15 दिवस अथवा 30 मार्च, 2006 के पूर्व जो अवधि पहले आवे, जमा करना होगा, प्रस्तुत की जा रही बैंक गारंटी की विधि मान्य अवधि 1 अप्रैल, 2006 से 30 अप्रैल, 2007 तक की होना चाहिए, कोई भी बैंक गारंटी इससे अल्प अथवा आंशिक अवधि की स्वीकार्य नहीं होगी. राज्य के अन्य जिलों अथवा राज्य के बाहर स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी तभी मान्य होगी। जब संबंधित जिले/संभागीय मुख्यालय पर स्थित उस बैंक की स्थानीय शाखा से बैंक गारंटी की पुष्टि/सत्यापन करा लिया गया हो।

यदि किसी अपरिहार्य कारणवश प्रतिभूति राशि 30 मार्च, 2006 तक जमा नहीं होती है तो सफल आवेदक से देय प्रतिभूति की 50 प्रतिशत राशि नगद या राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्त, बैंकर्स चैक या कैश ऑर्डर के रूप में जमा करवाई जाकर ही उसे लायसेंस जारी किया जा सकेगा। यह राशि आवश्यक रूप से आबकारी शीर्ष में तुरन्त जमा कराई जाएगी। साथ ही प्रतिभूति की शेष 50 प्रतिशत राशि जमा कराने के लिए उसे अधिकतम एक माह की छूट प्रदान की जाएगी। विधिवत देय प्रतिभूति की राशि के अभाव में संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह का लायसेंस जारी नहीं किया जायेगा।

3. धरोहर राशि/बेसिक लायसेंस फीस/प्रतिभूति का राजसात किया जाना :

यदि कोई आवेदक/टेण्डरदाता दुकान आवंटन होने पर निर्धारित समयावधि में बेसिक लायसेंस फीस जमा नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। इसी प्रकार यदि आवेदक द्वारा संपूर्ण बेसिक लायसेंस फीस जमा कर दी जाती है तथा वह प्रतिभूति की निर्धारित राशि नियत समयावधि में नियमानुसार जमा नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा संपूर्ण बेसिक लायसेंस फीस तथा प्रतिभूति की आंशिक जमा राशि, यदि कोई हो, राजसात की जा सकेगी, ऐसी दशा में दुकान/एकल समूह की पुनः निविदा की कार्यवाही अथवा विभागीय संचालन किए जाने की स्थिति में शासन को हुई किसी भी प्रकार की हानि की प्रतिपूर्ति की रकम आवेदक से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निष्पादन की शर्तों अथवा अन्य प्रभावशील नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर यदि कोई शास्ति/संधान राशि आरोपित की जाती है अथवा किसी प्रकार की राशि वसूली के लिए शेष रह जाती है तो जमा प्रतिभूति की राशि से प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जा सकेगी तथा दुकान का पुनः निष्पादन किया जा सकेगा।

4. दुकान का स्वरूप :

वर्ष 200-07 में देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का अनुज्ञप्तिधारी केवल देशी मंदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का अनुज्ञप्तिधारी केवल भारत विदेशी मदिरा (स्पिरिअ, वाईन एवं बीयर) एवं आयातित (स्पिरिट, वाइन एवं बीयर) विदेशी मदिरा का ही विक्रय कर सकेगा।

अनुज्ञप्तिधारी के लिए यह बंधनकारी होगा कि वह उसे अनुज्ञापित मदिरा दुकान को उसके घोषित क्षेत्र में ही नियमानुसार स्थापित करें।

5. अहाता लायसेंस :

वर्ष 2005-06 में जिन विदेशी मदिरा ऑफ दुकानों में अहाता लायसेंस स्वीकृत किया गया है, उन दुकानों में, निर्धारित लायसेंस फीस के अग्रिम भुगतान पर दिनांक 1-4-2006 से ही अहाता लायसेंस की स्वयंमेव पात्रता होगी।

6. ड्यूटी दरें :

6.1 वर्ष 2006-07 के लिए देशी मदिरा मसाला एवं प्लेन की ड्यूटी दर रु 125/- प्रति प्रूफ लीटर रहेगी।

6.2 वर्ष 2006-07 के लिए विदेशी मदिरा स्प्रिट की ड्यूटी दरें निम्नानुसार रहेंगी :-

क्रमांक	विदेशी मदिरा भांडागारों पर घोषित मूल्य प्रति केस (12 क्वार्ट बोतल अथवा समतुल्य)	ड्यूटी दर
(1)	(2)	(3)
1.	रुपये 500 तक	रुपये 160/- प्रति प्रूफ लीटर
2.	रुपये 500 से अधिक रुपये 1100 तक	रुपये 220/- प्रति प्रूफ लीटर
3.	रुपये 1100 से अधिक रुपये 3000 तक	रुपये 275/- प्रति प्रूफ लीटर
4.	रुपये 3000 से अधिक	रुपये 400/- प्रति प्रूफ लीटर

6.3 वाईन की एक समान ड्यूटी दर रु 250/- प्रति प्रूफ लीटर रहेंगी।

6.4 माल्ट (बीयर) के लिए ड्यूटी दरें निम्नानुसार रहेंगी :-

क्रमांक	प्रकार	ड्यूटी दर
(1)	(2)	(3)
1.	बीयर	रुपये 25/- प्रति बल्क लीटर
2.	ड्राफ्ट बीयर	रुपये 12/- प्रति बल्क लीटर

7. न्यूनतम विक्रय दरों का निर्धारण :

वर्ष 2006-07 के लिए देशी मदिरा, बीयर तथा 300 रु प्रति पेटी एक्स भांडागार मूल्य तक की विदेशी मदिरा स्पिरिट की न्यूनतम बिक्री दरें निम्नानुसार रहेंगीं :-

क्र.	प्रकार मदिरा	750 मि. ली.	375 मि. ली.	180 मि. ली.	250 मि. ली.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	देशी मदिरा : मसाला (25 यू.पी.) प्लेन (50 यू.पी.) प्लेन (60 यू. पी.)	 रुपये 96/- रुपये 72/- -	 रुपये 48/- रुपये 36/- -	 रुपये 24/- रुपये 18/- -	 - - रुपये 20/-
2.	विदेशी मदिरा (स्पिरिट) : रु 300 तक की प्रति पेटी मूल्य की	रुपये 128/-	रुपये 64/-	रुपये 32/-	-

3.	बीयर - रुपये 40:- प्रति 650 मि. ली. की बोतल अथवा समानुपातिक,				

इस न्यूनतम दर का अंकन लेबल पर करना अनिवार्य रहेगा।

जिले की परिस्थितियों के अनुसार जिले के कलेक्टर को इस निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य में 10 प्रतिशत तक की कमी/वृद्धि के अधिकार होंगे।

सभी दरों की विदेशी मदिरा के सम्बन्ध में यह प्रतिबंध लागू रहेगा कि कोई भी विदेशी मदिरा ड्यूटी एवं मदिरा की एक्स गोदाम कीमत को जोड़कर जो राशि पा्रप्त होती है उससे कम कीमत पर विक्रय नहीं की जासकेगी। 300 रु. प्रति पेटी से अधिक एक्स गोदाम कीमत वाली विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की प्रत्येक धारिता की बोतलों पर न्यूनतम विक्रय मूल्य लेबिल पर अंकित करना आवश्यक नहीं होगा।

8. लायसेंस फीस जमा करने की प्रक्रिया :

8.1 वर्ष 2006-07 में मदिरा दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस 24 पाक्षिक किश्तों में वसूली योग्य होगी, किन्तु ये किश्तें समान रूप से विभाजित नहीं होंगी। वर्ष के प्रथम त्रैमास में वार्षिक मांग का क्रमश : 25 एवं 25 प्रतिशत भाग वसूल किया जायेगा। किसी भी त्रैमास में वसूली योगय इस राशि को छै : समान भागों में बांटा जाएगा। यदि यह राशि छै - समान भागों में विभाज्य नहीं है तो अविभाज्य शेष भाग संबंधित त्रैमास के प्रथम पाक्षिक किश्त में समायोजित किया जाएगा।

8.2 देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा देशी मदिरा, विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) की जो मात्रा क्रय की जायेगी। उसक एवज में निर्धारित दरों पर जमा ड्यूटी की राशि उसकी संबंधित पक्ष की लायसेंस फीस के समतुल्य निर्धारित मांग के विरूद्ध समायोजित की जायेगी।

8.3 यदि किसी देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी द्वारा संबंधित पक्ष की लायसेंस फीस की निर्धारित पाक्षिक किश्त संपूर्ण अथवा आंशिक उस पक्ष में जमा न कराई जाकर आगामी पक्ष में जमा कराई जाती है तो ऐसी विलम्ब से जमा कराई गई लायसेंस फीस की राशि पर उसे मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी। यह बकाया लायसेंस फीस यदि आगामी पक्ष की समाप्ति के पूर्व जमा नहीं करोई जाती है तो उस पाक्षिक अवधि की समाप्ति पर उसे स्वीकृत लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा तथा/अथवा आवश्यकतानुसार दुकानों के संचालन की अन्य व्यवस्था की जा सकेगी।

8.5 यदि किसी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी द्वारा संबंधित पख की निर्धारित पाक्षिक किश्त उसी पक्ष की समाप्ति के पूर्व जमा करा दी जाती है, और किसी प्रशासकीय कारणवश उसे उसी पक्ष में मदिरा का प्रदाय दिया जाना संभ नहीं होता है तो उसे पक्ष समाप्ति के तुरन्त बाद की तिथियों में मदिरा का प्रदाय दिया जा सकेगा।

9. देशी मदिरा की प्रदाय व्यवस्था :-

9.1 वर्ष 2005-06 की भांति देशी मदिरा का प्रदाय वर्तमान में स्थापित मैन्युफैक्चरिंग/स्टोरेज भांडागारों के माध्यम से किया जायेगा। देशी मदिरा की 60 डिग्री अण्डर प्रूफ तेजी की प्लेन मदिरा 250 मि. लि. धारिता की बोतल में, 50 डिग्री अण्डर प्रूफ तेजी की प्लेन

मदिरा के 180 मि.ली. लीटर धारिता की बोतल के अतिरिक्त प्रदाय की जायेगी। किसी भी एक तरह की प्लेन मदिरा की अनुपलब्धता पर कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

9.2 वर्ष 2006-07 से सीलिंग चार्ज व्यवस्था समाप्त की जाती है।

9.3 वर्ष 2006-07 में देशी मदिरा भाण्डागारों से फुटकर ठेकेदारों को देशी मदिरा प्रदाय के समय प्रदाय मूल्य का भुगतान 750 मि.लि., 375 मि.लि. 250/180 मि. लि. की बोतलों के लिए क्रमशः रुपये 4.50, रुपये 3.50 तथा रुपये 2.00 प्रति नग की दर से संबंधित प्रदाय संविदाकार को करना होगा।

10. विदेशी मदिरा की प्रदाय व्यवस्था :

वर्ष 2006-07 में भी आबकारी विभाग के नियंत्रण के अधीन प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर संचालित विदेशी मदिरा भांडागारों से विदेशी मदिरा का प्रदाय फुटकर ठेकेदारों को किया जायेगा। विदेशी मदिरा निर्माताओं द्वारा उत्पादित लेबलों की विदेशी मदिरा की घोषित एफ.ओ.आर. दर पर 6 प्रतिशत राशि जोड़कर विभाग द्वारा फुटकर ठेकेदारों के लिए मदिरा की प्रदाय दर निर्धारित की जायेगी। इन विदेशी मदिरा भांडागारों से फुटकर ठेकेदारों को उसी ब्राण्ड/लेबल की विदेशी मदिरा की मांग करने पर जो तत्समय संग्रहण में उपलब्ध नहीं है, विभाग मदिरा उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विनिर्माता इकाई को सूचित करेगा। इकाई द्वारा आवश्यक ब्राण्ड्स/लेबल की मदिरा का भण्डारण करने के पश्चात् ही उसे ठेकेदारों को प्रदाय किया जा सकेगा। आवश्यकता होने पर संभागीय मुख्यालय से भिन्न अन्य स्थानों पर भी विदेशी मदिरा भांडागार स्थापित किये जा सकेंगे।

11. ड्राफ्ट बीयर :

ड्राफ्ट बीयर निर्माता इकाई से सीधे खपत के बिन्दु एफ.एल. 1-ख, धारित एफ.एल. 1 - ककककक, एफ.एल. 2, एफ.एल. 3, एफ.एल. 4, एफ.एल. 4-क, एफ.एल. 5, एफ.एल. 8 लायसेंसी को नियम ड्यूटी के अग्रिम भुगतान के बाद नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर परिवहन पारपत्र पर दी जाएगी। केवल एफ.एल. 1-ख धारित, एफ.एल. 1 लायसेंसी तथा एफ.एल. 1 ककककक लायसेंसी द्वारा ड्राफ्ट बीयर के लिए जमा ड्यूटी का समायोजन उसकी लायसेंस फीस के किश्त के विरूद्ध अनुमत किया जावेगा।

12. होलोग्राम :

विदेशी मदिरा (स्प्रिट, वाईन एवं बीयर) की प्रत्येक धारिता की बोतल पर शासन द्वारा नियम दिनांक से होलोग्राम लगाया जायेगा।

13. मदिरा स्कंध का एक दुकान से दुसरी दुकान में स्थानान्तरण :

किसी मदिरा दुकान पर अनुज्ञाप्तिधारी की आश्यकता से अधिक मदिरा होने पर, उसे संबंधित जिले की उसी प्रकार की अन्य दुकान में अंतरित करने की स्वीकृति जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। इसके लिए देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा स्प्रिट एवं वाईन पर 2.00 रु प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर पर 1.00 रु ब.लि. की फीस अनुज्ञप्तिधारी से अग्रिम जमा कराई जायेगी।

14. अवशेष मदिरा स्कंघ का निराकरण :

वर्ष 2005-06 में ठेका अवधि समाप्त होने पर देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय की दुकान पर शेष बचे मदिरा स्कंध को आगामी वर्ष 2006-07 के लायसेंसी को सामान्य लायसेंस शर्त 25 के अन्तर्गत अन्तरित करना प्रावधारित है। इस अंतरित मदिरा स्कंध पर वर्ष 2005-06 में भुगतान की गयी ड्यूटी राशि का समायोजन वर्ष 2006-07 की लायसेंस फीस के विरूद्ध मान्य नहीं होगा।

15. लायसेंस अवधि के दौरान दुकान का पुनर्निष्पादन :

लायसेंस अवधि के दौरान लायसेंस शर्तों के उल्लंघन, लायसेंस फीस जमा न करने अथवा किसी अन्य कारण से, यदि दुकान/एकल समूह का लायसेंस निरस्त किए जाने की स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में जिला समिति को उस दुकान/एकल समूह को पुनः निष्पादित करने के अधिकार होंगे। लायसेंस निरस्त किए जाने के पश्चात् मूल अनुज्ञप्तिधारी के उत्तरदायित्व पर उस दुकान/एकल समूह का पुनः निष्पादन टेण्डर के माध्यम से किया जाएगा। दुकान के पुनः निष्पादन तक उसका विभागीय संचालन स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से किया जाएगा| दुकान की निविदा के माध्यम से पुनः निष्पादन में जो भी राशि कम प्राप्त होगी वह मूल अनुज्ञप्तिधारी से वसूली योग्य होगी। पुनः निष्पादन किस मूल्य पर किया जाए इसके लिए जिला समिति को मैदानी वास्तविकताओं के आधार पर निर्णय लेने के अधिकार होंगे।

16 ठेका की अवधि में लायसेंस निष्पादन की शर्तों का प्रभावशील रहना :

मदिरा की फुटकर दुकानों के निष्पादन की ये सभी शर्तें वर्ष 2006-07 तथा वर्ष के दौरान होने वाले पुनः निष्पादन की कार्यवाही के संबंध में प्रभावशील रहेंगी।

17. विशेष पास व्यवस्था :

मदिरा की मांग नियत दुकान से अलग उसके क्षेत्र में स्थित मदिरा दुकानरहित स्थान/गांव में होने पर ऐसी मांग की वैध आपूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार मदिरा के संग्रहित/परिवहन/उपभोग के लिए शासन निर्देशों के अध्यधीन विशेष पास जारी किए जा सकेंगे।

1. 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस
2. 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस
3. 02 अक्टूबर, महात्मा गांधी

शुष्क दिवसों के संबंध में संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जिले के विक्रय ज्ञापन में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जायेगा। शुष्क दिवसों की घोषणा संबंधित कलेक्टर द्वारा निष्पादन स्थल पर भी अनिवार्य रूप से की जायेगी। क्योंकि नियमानुसार संबंधित जिला कलेक्टर ही नीलामी के पूर्व शुष्क दिवसों की घोषणा केलिए सक्षम हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त कलेक्टर कुल 4 दिवस, प्रशाकीय तथा लोक हित में किसी भी स्थान की कोई एक या इससे अधिक दुकानों अथवा तहसील या जिले की समस्त दुकानों केलिए वर्ष 2006-07 में शुष्क दिवस के रूप में घोषित करने के लिए सक्षम रहेंगे।

19. एफ.एल. 3 तथा एफ. एल. 2 होटल बार लायसेंसी की व्यवस्था :

वर्ष 2006.07 के लिए शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाले रेस्टॉरेंट तथा होटलों को निर्धारित लायसेंस फीस के अग्रिम भुगतान पर राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था अनुसार एफ.एल. 2 तथा एफ.एल. 3 लायसेंस जारी किये जा सकेंगे।

एफ. एल. 3 तथा एफ. एल. 2 होटल बारों केलिए वर्ष 2005-06 की लायसेंस फीस में 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। बारों के संबंध में वर्ष 2005-06 के शेष प्रावधान आगामी वर्ष 2006-07 में यथावत लागू रहेंगे।

20. प्रतिभूति का लायसेंस फीस में समायोजन :

देशी/विदेशी मदिरा के ठेकेदार द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 की समाप्ति के पूर्व (यदि आगामी वर्ष के लिए नवीनीकरण नहीं चाहा गया है) जब भी प्रतिभूति की राशि का शेष रही लायसेंस फीस के विरूद्ध समायोजन चाहता है तो सहायक अतिरिक्त प्रतिभूति प्राप्त कर दे सकेंगे। प्रतिभूति की राशि शासकीय कोष में जमा होने के पश्चात् ही समायोजन की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी तथा इस प्रतिभूति की राशि के बराबर मदिरा का प्रदाय दिया जा सकेगा किन्तु किसी भी पक्ष में निर्धारित पाक्षिक लायसेंस फीस से अधिक की मदिरा की मात्रा का प्रदाय नहीं दिया जायेगा।

22. मद्य निषेध की नीति तथा प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप दुकान बन्द करना :

ठेकावधि में यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक पदार्थो पर कोई कर लगाया जावेगा तो अनुज्ञप्तिधारी इस बाबत् लायसेंस फीस में किसी छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा, और इस संबंध में उसकी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

24. वर्ष 2007-08 के लिए मदिरा दुकानों का नवीनीकरण :

वर्ष 2006-07 के दौरान कोई गंभीर अनियमितता न होने तथा लायसेंस फीस समय पर जमा करने की स्थिति में, मदिरा दुकानों को वर्ष 2006-07 के वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर वर्ष 2007-08 के लिए नवीनीकरण की पात्रता वर्ष 2006-07 के अनुज्ञप्तिधारी को होगी।

25. जिन व्यवस्थाओं के संबंध में अन्यथा निर्देशित नहीं किया गया है, वे सभी व्यवस्थाएं मदिरा दुकानों के संबंध में वर्ष 2006-07 के लिए पूर्ववत लागू रहेंगी।

26. सभी लायसेंस मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 उसके अन्तर्गत बनाये गये एवं समय-समय पर संशोधित किये गये नियमों और समय-समय पर राज्य शासन, आबकारी आयुक्त व कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों/अनुदेशों के अध्यधीन रहेंगे।

27. 2006-07 के लिये मध्यप्रदेश में मदिरा के फुटकर लायसेंसी के निष्पादन की निष्पादन की तिथियां एवं स्थल :

लॉटरी/टेण्डर द्वारा निष्पादन

1.	नवीनीकरण के पश्चात् निष्पादन से शेष रही दुकानों के आवेदन/टेण्डर प्रपत्र विक्रय की तिथि व समय	दिनांक 14 फरवरी से 25 फरवरी, 2006 को दोपहर 3.00 बजे तक.
2.	आवेदन/टेण्डर प्रपत्र को खोलकर लॉटरी द्वारा निष्पादन की कार्यवाही की तिथि व समय	दिनांक 27 फरवरी से 25 फरवरी, 2006 को सायं 17.30 बजे तक
3.	आवेदन/टेण्डर प्रपत्र को खोलकर लॉटरी द्वारा निष्पादन की कार्यवाही की तिथि व समय।	दिनांक 27 फरवरी 2006 को दोपहर 10.30 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक.
4.	अवशेष बेसिक लायसेंस फीस जमा करने की अंतिम तिथि व समय।	दिनांक 1 मार्च 2006 की सायं 17.30 बजे तक

क्रमांक	जिले का नाम	निष्पादन स्थल
(1)	(2)	(3)
1.	इन्दौर	कलेक्टोरेट, इन्दौर
2.	झाबुआ	कलेक्टोरेट, झाबुआ
3.	खरगौन	स्वामी विवेकानंद संभागृह, कलेक्टोरेट, खरगौन
4.	बड़वानी	कलेक्टोरेट बड़वानी
5.	धार	कलेक्टोरेट धार
6.	खण्डवा	आबकारी भवन परिसर, खण्डवा
7.	बुरहानपुर	कलेक्टोरेट बुरहानपुर
8.	भोपाल	सहायक आयुक्त, आबकारी कार्यालय, भोपाल
9.	राजगढ़	वीरेन्द्र क्लब, कलेक्टोरेट के सामने, राजगढ़
10.	विदिशा	कलेक्टोरेट विदिशा
11.	सीहोर	कलेक्टोरेट सीहोर
12.	रायसेन	कलेक्टोरेट रायसेन
13.	होशंगाबाद	कलेक्टोरेट होशंगाबाद
14.	हरदा	कलेक्टोरेट हरदा
15.	बैतूल	जिला आबकारी कार्यालय, बैतूल
16.	जबलपुर	कलेक्टोरेट जबलपुर
17.	डिण्डोरी	कलेक्टोरेट, डिण्डोरी
18.	सिवनी	कलेक्टोरेट, सिवनी
19.	छिंदवाड़ा	कलेक्टोरेट, छिदवाड़ा
20.	कटनी	कलेक्टोरेट, कटनी
21.	बालाधाट	कलेक्टोरेट, बालाधाट
22.	मण्डला	कलेक्टोरेट, मण्डला
23.	नरसिंहपुर	न्यू कलेक्टोरेट, नरसिंहपुर
24.	ग्वालियर	कलेक्टोरेट, ग्वालियर
25.	मुरैना	कलेक्टोरेट, मुरैना
26.	भिण्ड	कलेक्टोरेट, भिण्ड
27.	श्योपुर	जिला आबकारी कार्यालय, चम्बल कालोनी, श्योपुर

28.	गुना	कलेक्टोरेट, गुना
29.	अशोकनगर	कलेक्टोरेट, अशोकनगर
30.	शिवपुरी	कलेक्टोरेट, शिवपुरी
31.	दतिया	कलेक्टोरेट, दतिया
32.	सागर	कलेक्टोरेट, सागर
33.	दमोह	नवीन कलेक्टोरेट, दमोह
34.	पन्ना	कलेक्टोरेट, पन्ना
35.	टीकमगढ़	संयुक्त कार्यालय भवन, जिला आबकारी कार्यालय, टीकमगढ़
36.	छतरपुर	कलेक्टोरेट, छतरपुर
37.	रीवा	सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय, रीवा
38.	सतना	कलेक्टोरेट, सतना
39.	शहडोल	संयुक्त जिला कार्यालय, शहडोल
40.	उमरिया	कलेक्टोरेट, उमरिया
41.	अनूपपुर	कलेक्टोरेट, अनूपपुर
42.	सीधी	कलेक्टोरेट, सीधी
43.	उज्जैन	सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय, उज्जैन
44.	शाजापुर	कलेक्टोरेट, शाजापुर
45.	मंदसौर	जिला आबकारी कार्यालय, मंदसौर
46.	नीमच	मदर टेरेसा सभा कक्ष, नीमच
47.	रतलाम	सहायक आयुक्त, आबकारी कार्यालय, रतलाम
48.	देवास	जिला आबकारी कार्यालय, देवास

टी. धर्माराव, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश.